संख्या : 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002

क,

आर० रमणी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

अद्यतन शासनादेश - 22/12/2016

में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

च्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2002

य : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थाओं के खोले जाने तथा
न महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त
यों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

दय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
न ने सम्यक विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोलने तथा वर्तमान
विद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों
प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन,
कालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर
नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रारम्भ
में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं
कोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि
सम्बन्ध में पूर्ण में निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था में संशोधन
हुए नये मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मानक निम्नवत हैं :-

सामान्य प्रक्रिया

रजिस्ट्रार सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई

संस्था या ट्रस्ट जिसके संविधान के पंजीकृत बायलाज में शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन प्रबन्धन स्पष्टतः अंकित हों, प्रदेश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा–शिक्षण के महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आनेवाले ऐसे विश्वविद्यालय, जिसे उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–37 एवं धारा–38 के अन्तर्गत सहयुक्तता/सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार हो, के माध्यम से शासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अथवा निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव कर सकती है। आवेदक समिति/ट्रस्ट महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने से पूर्व महाविद्यालय स्थापित करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों का सम्यक रूप से अध्ययन कर लेवें तथा स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि जिस क्षेत्र में नये महाविद्यालय की स्थापना/पूर्व में संचालित महाविद्यालय में नीवन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है, वहां मानकों के अनुसार महाविद्यालय स्थापित करने का समुचित औचित्य बनता है अथवा नहीं? आवेदक संस्था यह भी देख ले कि मानकानुसार वे सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने में सर्वथा सक्ष्म है अथवा नहीं?

आवेदक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने अथवा वर्तमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु आवेदन समान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कुलसचिव के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप पर नये महाविद्यालय की स्थापना/वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार औचित्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगा। शासन द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा आवेदक संस्था को शासन द्वारा निर्वाधन/अनापत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय से अवगत कराया जायेगा। शासन की अनापत्ति निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त होने की दशा में आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा करने तथा उसे विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम प्लेज्ड कराने से पूर्व

निम्नलिखित को सुनिश्चित कर लिया जाये।

1– प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित करायी जाये।

2– महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि पर मानकानुसार भवन/अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाये।

3– शैक्षिक अवस्थापना सुविधाओं यथा पुस्तकों, प्रयोशालाओं हेतु उपकरणों/संयंत्रों/फर्नीचर आदि मानकानुसार क्रय करने हेतु पर्याप्त धनराशि संस्था के बैंक खातों में उपलब्ध हो तथा वे आगामी वर्षों में संस्था महाविद्यालय में शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु आवर्तक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध कराने में समर्थ हों।

उपर्युक्त सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त संस्था सावधि जमा राशि के प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित संकाय/नवीन पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्राभूत की धनराशि कुलसचिव के नाम प्लेज्ड करायेंगे तथा निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सभी प्रविष्टियां अंकित करेंगे। आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय/संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन का चारों दिशाओं से लिया गया बड़े साइज का फोटो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रारूप के साथ महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा रूपये पचास मूल्य के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उन्होंने आवेदन–पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की हैं, वे तथ्यों पर आधारित हैं और सही हैं। आवेदन–पत्र में कोई भी तथ्य न तो उनके द्वारा छिपाया गया है और न ही असत्य घोषित किया है। यदि उनके द्वारा की गयी घोषणा में कोई भी तथ्य गलत, असत्य या छिपाया हुआ पाया जाय तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

विश्वविद्यालय में निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा होने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रस्तावित नये महाविद्यालय/वर्तमान महाविद्यालय में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण

1– विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, जो आचार्य/स्नातकोत्तर आचार्य स्तर का हो,

2– प्रत्येक सम्बन्धित विषय का एक विषय विशेषज्ञ जो न्यूनतम उपाचार्य स्तर का हो, किन्तु कृषि संकाय के विषयों हेतु विशेषज्ञ प्रदेश में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालय से नामित किये जाएं।

3– सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ के रूप में पृथक–पृथक महाविद्यालयों के निरीक्षण मण्डल में भिन्न–भिन्न व्यक्ति नामित हों।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य एक साथ किसी एक निर्धारित तिथि को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा महाविद्यालयों के लिए शासन द्वारा निर्धारित/राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध होने अथवा नहीं होने, जैसी भी स्थल पर स्थिति हो, का तथ्यात्मक उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुए अपनी आख्या/संस्तुति विश्वविद्यालय को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक मण्डल प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के साथ अपनी फोटो भी खिचाएंगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित कुलाधिपति एवं शासन को अग्रसारित की जायेगी। शासन उक्त आख्या/संस्तुति का पूर्ण रूप से परीक्षण कर प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित करेगा महामहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवम् शिक्षणेत्तर क्रिया कलाप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवम् नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराये जायेंगे।

औचित्य निर्धारण

जिस स्थान पर नया महाविद्यालय/संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है वहां औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक होगा :–

जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी. परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?

प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?

उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?

उस क्षेत्र में 15 उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों के रहते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?

क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई कुप्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम अर्हता युक्त छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?

क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने से अन्य महाविद्यालय पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र मानक योग्यतानुसार उपलब्ध हो सकेंगे?

संस्था/समिति/ट्रस्ट का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य है अथवा नहीं?

प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम के साथ राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके

3— प्राभूत की राशि

क्र.सं.	संकाय/विषय	बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि
1	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों	रू0 2.00 लाख	रू0 1.50 लाख
2	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 50,000/–	रू0 20,000/–
3	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु	रू0 50,000/–	रू0 20,000/–
4	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परम्परागत विषयों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 2.5 लाख
5	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एस–सी0 (कम्प्यूटर साइंस), बी0एस–सी0 (इनफारमेशन टेक्नोलॉजी) आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत	रू0 3.00 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त	रू0 2.50 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त
6	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 55,000/–	रू0 25,000/–
7	स्नातकोत्तर स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु	रू0 75,000/–	रू0 30,000/–
8	स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु	रू0 2.00 लाख	रू0 50,000/–
9	एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 4.00 लाख	रू0 3.00 लाख
10	एल0एल0बी0 (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 6.00 लाख	रू0 4.00 लाख
11	बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 1.50 लाख
12	एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 5.00 लाख	रू0 5.00 लाख
13	एम0बी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 3.00 लाख

समतुल्य नाम अंकित न हो। महाविद्यालय का नाम जीवित व्यक्ति के नाम पर न हो अथवा जाति विशेष के नाम न हो।

9. भूमि मानकानुसार संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज पर हो तथा लीज डीड पंजीकृत हो।

10. क्या महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है?

(ब) इसी प्रकार पूर्व से संचालित महाविद्यालय/संस्थान में नये पाठ्यक्रमों में अनापत्ति/निर्वाधन देने हेतु औचित्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

1. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या क्या है?

2. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत तीन वर्ष का विषयवार परीक्षाफल क्या था?

3. क्या पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त हैं? नियुक्त शिक्षकों में से कितने तथा किस–किस विषय के शिक्षक आयोग से नियुक्त/विनियमितीकृत हैं अथवा वर्तमान में संचालित किन–किन पाठ्यक्रम में कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. महाविद्यालय के पास खेलकूद आदि प्रतिस्पर्धाओं के लिए पर्याप्त क्रीड़ा सामग्री तथा भूमि उपलब्ध है।

4– भूमि का मानक

(1.1) नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक निम्नवत होगा :–

(क)	नगर निगम क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(ख)	नगर पालिका क्षेत्र	7000 वर्ग मीटर

(ग) अन्य क्षेत्र 20000 वर्ग मीटर

किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

(1.2) विधि महाविद्यालयों (लॉ कालेज) हेतु भूमि का मानक :–

(क) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए संस्था/प्रबन्धतंत्र के पास कम से कम 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि अपेक्षित है।

(ख) पांच वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए। यदि लॉ कालेज में दोनों पाठ्यक्रम, लॉ तीन वर्षीय तथा लॉ पाँच वर्षीय संचालित हो तो उस स्थिति में महाविद्यालय में कम से कम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

(1.3) कृषि महाविद्यालय के लिए उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(1.4) ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।

5– भवन का मानक

प्रत्येक महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमें केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ही शिक्षण प्रदान किया जायेगा। कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय–वाचनालय, अध्यापक कक्ष, छात्र/छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष होना आवश्यक है। प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्यकतानुसार फर्नीचर का होना आवश्यक होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया गया हो तो उसके लिए एक पृथक प्रयोगशाला कक्ष होना अनिवार्य है। इसी भांति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिए एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष का होना आवश्यक है

एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक प्रयोगशालाएं निर्मित होने की अनिवार्यता होगी। नये महाविद्यालय के लिए प्रारम्भ में भूमि और भवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक निम्नवत् होगा :–

1–	व्याख्यान कक्ष – प्रत्येक कक्ष	85 वर्ग मीटर से 90 वर्गमीटर
2–	प्रत्येक प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष	80 वर्ग मीटर
3–	पुस्तकालय – वाचलनालय कक्ष	80 वर्ग मीटर
4–	एक अध्यापक कक्ष	20 वर्ग मीटर
5–	एक छात्रा कक्ष	20 वर्ग मीटर
6–	प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्षा तथा लेखा कक्ष	80 वर्ग मीटर
7–	बरांबदा	100 वर्ग मीटर
8–	शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु पृथक) दो प्रत्येक	4 वर्ग मीटर 8 वर्ग मीटर
		योग – 828 वर्ग मीटर

6– **पुस्तकालय का मानक**

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :–

स्नातक स्तर

	विषय / मद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1–	पुस्तकालय फर्नीचर, कार्ड स्टेशनरी रख-रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	50,000/–	5,000/–
2–	रसायन, भौतिक, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा आई0टी0 पाठ्यक्रम प्रति विषय हेतु पुस्तकों पर व्यय	20,000/–	3,000/–
3–	सांख्यिकी, भूगर्भ, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रति विषय पुस्तकों पर व्यय	15,000/–	2,000/–
4–	कला संकाय के शोध प्रति विषय	10,000/–	2,000/–
5–	वाणिज्य कुल	50,000/–	5,000/–
6–	विधि संकाय	50,000/–	5,000/–
7–	कृषि कुल	75,000/–	7,000/–
8–	शिक्षा प्रशिक्षण	25,000/–	4,000/–
9–	पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध, पत्रिकाओं हेतु (500 छात्र संख्या तक)	10,000/–	5,000/–

स्नातकोत्तर स्तर

	विषय	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1–	विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	75,000/–	5,000/–
2–	भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय	45,000/–	5,000/–
3–	कला संकाय के शेष प्रति विषय	35,000/–	4,000/–
4–	वाणिज्य, विधि प्रत्येक	50,000/–	7,000/–
5–	शिक्षा प्रशिक्षण	35,000/–	5,000/–

नोट :– यदि छात्र संख्या से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक व्यय उसी अनुपात में बढ़ जायेगा।

ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./बार काउन्सिल आफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित मानक प्रभावी होंगें।

7– प्रयोगशाला के मानक

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक/अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :–

स्नातकोत्तर स्तर

क्र. सं	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर पर व्यय रू0	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय रू0	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष 20 रू0	प्रति अतिरिक्त छात्र रू0
1	विज्ञान तथा कृषि प्रत्येक विषय एक बांच के साथ	50,000/–	2.0 लाख	25,000/–	3,000/–
2	कला/शिक्षा संकाय के प्रत्येक विषय	8,000/–	25,000/–	4,000/–	500/–

स्नातक स्तर

क्र. सं.	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर पर व्यय (रू0)	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय (रू0)	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष (60 से 75 छात्र स्नातक तक भाग-1 में) रू0	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर (रू0)
1	ड्राइंग पेंटिंग	10,000/-	12,000/-	2,000/-	500/-
2	संगीत	2,000/-	15,000/-	2,000/-	500/-
3	भूगोल, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, में प्रति विषय	15,000/-	20,000/-	2,500/-	500/-
4	भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	30,000/-	75,000/-	10,000/-	1000/-
5	रसायन विज्ञान (गैस व डिस्टिल्ड वाटर सहित)	40,000/-	1.5 लाख	15,000/-	1,500/-
6	कम्प्यूटर विज्ञान, बी0सी0ए0 आदि	40,000/-	5.0 लाख	25,000/-	10,000/-
7	भूगर्भ विज्ञान।	30,000/-	40,000/-	5,000/-	500/-
8	कृषि एग्रोनामी, सांख्यिकी, कृषि प्रसार, कृषि तकनीकी, कृषि दुग्ध विज्ञान प्रति विषय	8,000/-	2.0 लाख	1,000/-	500/-
9	कृषि पादप रोग, विज्ञान, जेनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय	15,000/-	15,000/-	2,000/-	500/-
10	म्युजियम प्रति विषय जहां अनिवार्य है	8,000/-	20,000/-	5,000/-	500/-
11	अन्य प्रति अतिरिक्त कृषि विषय	7,000/-	10,000/-	2,000/-	500/-
12	शिक्षा प्रशिक्षण (पूरे संकाय हेतु)	15,000/-	7,000/-	2,000/-	500/-

8- स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने का मानक

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम केवल उन्हीं महाविद्यालयों में स्वीकृत किये जायें जहां-

1. महाविद्यालय को स्नातक स्तर के विषयों में सम्बद्धता प्राप्त हुए तीन वर्ष बीत चुके हों। तीनों वर्षों तक उसकी व्यवस्था, प्रबन्धन तथा शिक्षण स्तर उत्तम रहा हो।

2. महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–2(एफ) में पंजीकृत हो चुका हो।

3. विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल अविच्छिन्न रूप से उत्तम रहा हो तथा 60 प्रतिशत से कम न हो। महाविद्यालय में परीक्षा कार्य का संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा हो।

4. महाविद्यालय की छात्र संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 300 से अधिक हो एवं सह शिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में यह संख्या 500 हो चुकी हो।

5. महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं में क्रमशः पुस्तकें, उपकरण आदि पूर्ववर्ती वर्षों में मानकानुसार क्रय किये गये हों।

6. महाविद्यालय में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त किये गये हों एवं प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर दिया गया हो अथवा शिक्षक उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं कार्यरत हो।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित महाविद्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि के अन्दर किसी अन्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम नहीं हो।

8. उक्त मानक पूर्ण होने पर ही स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम में एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम दो नवनी पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जा सकेगी।

9– स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन सीटों की वृद्धि हेतु मानक

1. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हों।

2. सम्बन्धित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय कम से कम एक बैच पास–आउट हो चुका हो तथा परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

3. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मांग/आवश्यकता का आधारभूत आंकड़ों के अनुसार औचित्य हो।

4. सम्बन्धित विशय में नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हता धारण करते हो तथा उनकी नियुक्ति पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

10– सम्बद्धता विस्तरण हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं।

(2) शिक्षकों की नियुक्ति यू.जी.सी./शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप की गयी हो।

(3) विगत वर्षों (अधिकतम तीन वर्ष) का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

(4) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(5) महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा हो।

(6) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अवधि में सामूहिक नकल का आरोप न हो।

(7) सम्बद्धता विस्तरण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व शासन तथा महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए।

11– स्थायी सम्बद्धता हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित समस्त अवस्थापना एवं शैक्षिक मानकों की पूर्ति कर लेने का समुचित प्रमाण हो।

(2) विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से न्यून न रहा हो।

(3) निर्धारित योग्यता धारक प्राचार्य तथा समस्त शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियानुसार कर दी गयी हो तथा यथावश्यक नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(4) अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(5) स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के माध्यम से निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति सहित अस्थायी सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि के तीन माह पूर्व शासन/कुलाधिपति को प्राप्त हो जाये।

(6) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(7) प्रबन्ध तंत्र में किसी प्रकार का विवाद न हो तथा प्रबन्ध तंत्र के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने का प्रमाण हो।

(8) सामूहिक नकल का कोई आरोप न हो।

12– प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13– शुल्क का निर्धारण

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समय–समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क ही विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त/सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों से लिया जायेगा।

14– सम्बद्धता हेतु समय सारणी

सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन एवं महामहिम कुलाधिपति कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ हैं कि सामान्य प्रक्रिया प्राभूत की राशि भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने हेतु मानकों तथा पूर्व संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों अतिरिक्त सेक्शन/सीटों में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन.ओ.सी.) तथा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने के लिए दो अलग–अलग प्रपत्र संलग्न हैं।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय

आर0 रमणी
प्रमुख सचिव

संख्या 3075(1)/सत्तर–2–2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रविधिक शिक्षा अनुभाग–1, सचिवालय, लखनऊ।
6. उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

बी0डी0 जोशी
संयुक्त सचिव।